

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

वाद का प्रकार- विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०न०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- 284/ थाना- 346 खाता संख्या- 53 प्लॉट संख्या- 112 रकबा- 2.005 एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास अनाबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 87/2 पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- **बन्धु मल्ल 1/3/0 मण्डुसगसा**
का - रहेम
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रहेम	346	53	117	205 ए०

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०- **87/2** पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - **12/203**

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-

6. किस संक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवेध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
7	4968263	19/11/2	2002/03

(Signature)

आदेश की
क्रम सं०
आर तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

1

2

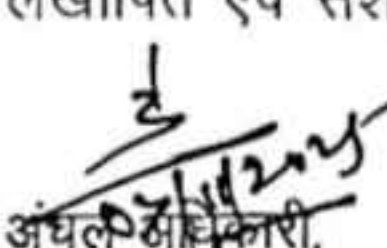
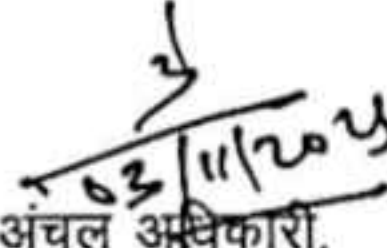
3

अभिलेख - उपस्थापित किया गया
प्रतिवादी-पथ- अनुपस्थित।

अतः पुनः द्वितीय-कोर्टीन
निर्णय ४८, जिसकी तिस्रों को
रखें।

अनुपस्थित
मंगल

आदेश की प्रत को संलग्न किया जा रहा है।
दिनांक 03/11/2025

आदेश की प्रत को संलग्न किया जा रहा है। दिनांक 03/11/2025	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0-53, प्लॉट सं0- 117/H, एवं 117/L रकबा क्रमशः 1.65ए0, व 0.40 ए0 कुल रकबा 2.05 ए0 पर बच्चु महतो पिता स्व0 मथुरा महतो के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा0 सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं0 190/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा-रहेया थाना नं0-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0-53, प्लॉट सं0- 117/H, व 117/L रकबा 2.05 ए0, की बंदोबस्ती उक्त रैयत बच्चु महतो पिता स्व0 मथुरा महतो के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 87/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2012-13 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....<u>समाप्त</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या 144/2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)

नोटिस

बनाम वन्यु महाराज (व नवसुर) महाराज
आमो - रहेगा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा रहेगा थाना नं० 346
खाता नं० 53 खेसरा नं० 117 रकबा 2.05.10 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं ठ
साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूर्ति करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/10/24
अंचल अधिकारी
मनातू पतामू

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

बाद अभिलेख संख्या .../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)

नोटिस

बनाम

अन्यथा (अन्यथा) मनातू
अन्यथा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा थाना नं०.....
खाता नं०..... खेसरा नं०..... रकबा..... से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जाएगी ।

इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

06/11/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
गुमना, पलामु

रहेगा मे: अचल कपिडावी
मनाहू, पलाय ।

विषय:- खेदेहास्यद जमावगी वार- सं. 144 का स्वलीन
ऑनच प्रतिवेदन ।

महाराज, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कुम्हार है कि मौजा
रहेगा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्का का
मिलान करते अचल अमीन के साथ स्वलीन ऑनच
किया गया। ऑनच में पाया कि गैर खारख खाता
53 ब्लॉक सं. 117/H एवं 117/L खका-कमरा; 1.65२०
व 0.40२० कुल खका 2.05२० पर वन्दु महरो
पिता सन मन्पुरा महरो के साथ ओर-ओर मिला आ
रहा है। उनके द्वारा ऑनच के दौरान वन्दोपस्ती पन्नी
खक निगीत रखीर प्रस्तुत किया गया है, जिससे
पता चलता है कि अनुप्रखल पका मेकिनीगा के
वर्दीर वार सं. 190/02-03 के अन्तर्गत दिनांक
11-07-03 को मौजा रहेगा वाना नं 345 के
अन्तर्गत कुम्हार खाता 53 ब्लॉक 117/H व 117/L
खका 2.05२० की वन्दोपस्ती उम्ह रैपत वन्दु महरो
पिता सन मन्पुरा महरो के नाम से हुआ है जिसका
जमावगी मौजा रहेगा के माग पन्नी II के पेज नं-87/II
पर दर्ज होकर वर्ष 2012-13 तक रखीर निगीत हो रहा है।
इस प्रकार कुम्हार जमावगी खेदेहास्यद/अर्केध-परीत
नहीं होता है।

(नोट:- कुम्हार जमावगी का खेदेहास्यद/अर्केध
जमावगी से मुक्त किया जा सकता है।

उपेक्षित
म. म. म. म. म. म.

रिजिस्टर

विष्णुसभाजन
चीरेन्द्र डी. डी. 2.
20030120
चलका - III

अनमंडल पदाधिकारी

INQ. 180V

नाम प. नारायण

मंडल का नाम मे. द. तीरवार

अंचल का नाम भ. नारायण

नाम रकल। नाम मौजा मय रहेवा

धाना जो धाना नम्बर भ. नारायण 345

V

रसोद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB

41 4968263

P. 71-82

12

खाता संख्या	खेसरा संख्या
53	112/41 117/1 रकम 2.05 2003

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिस्साब लगान भायली

वै. र. गु. म. र. 8/8 2000 संयुक्त महल

जोत का सालाना मांग मय तफसील (धकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				हाल 2012-13
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल } (नकदी)	12.0				120.0	12.0
गुजारी } (भावली)	3.0				30.0	3.0
सेस	6.0				60.0	6.0
*सूद	6.0				60.0	6.0
मुतफरकात	3.0				30.0	3.0
मीजान	30.0				300.0	30.0

N.N.

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया				मोतालबा हाल 2012-13	फाजिल
		3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष			
माल } (नकदी)				120.0	12.0		
गुजारी } (भावली)				30.0	3.0		
सेस				60.0	6.0		
*सूद				60.0	6.0		
मुतफरकात				30.0	3.0		
मीजान अदायकारी				300.0	30.0		330.0

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) तीरवार मे 6 रकम 300.00

(2) नाम देहिन्दा - 20/21

(3) कुल बकाया-

दस्ताखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

10/10/12

*खास महल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।